MONITORING

Supporitve Supervision Vehicle Hiring Block wise information 2017-18, G.B. Nagar							
S.No.	Name of Division	Name of District	Block Name	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle Alloted	Vehicle Stauts
1	Meerut	G.B. Nagar	Jewar	HR-55U/9037	01-04-17	MOIC/BPM	Working
2	Meerut	G.B. Nagar	Dankaur	UP-16DT/7894	01-04-17	MOIC/BPM	Working
3	Meerut	G.B. Nagar	Bisrakh	UP-16ET/2457	01-04-17	MOIC/BPM	Working
4	Meerut	G.B. Nagar	Dadri	UP-16ET/0942	01-04-17	MOIC/BPM	Working

Supporitve Supervision Vehicle Hiring District Level information 2017-18, G.B. Nagar							
S.No.	Name of District	No. of Vehicle Alloted	No. of Vehicle hired	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle Alloted	Vehicle Stauts
1	G.B. Nagar	G.B. Nagar		UP-16ET/3106	01-04-17	ACMO RCH	Working

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर
25.8.2017

अनबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष : मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद गौतमबुद्धनगर
द्वितीय पक्ष : मैसर्स तालान टूर एण्ड ट्रैवल्स, गॉव नवल गोपालगढ, तहसील–जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर (सेवा प्रदाता)

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अनुश्रवण व मूल्यांकन कार्य हेतु आज दिनांक 01.04.2017 को जनपद गौतमबुद्धनगर में संपादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक होगी।

1- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की ओर से जिला गौतमबुद्धनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जेवर एवं दनकौर पर कार्य सचालित करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध करायेंगे।

क- सेवा प्रदाता को प्रथम पक्ष की ओर से संबधित केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा रूपये 24900=00 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। माह में 25 दिवस (राजकीय अवकाशों को छोडकर) से कम कार्य दिवस होने पर रू0 1000/- प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा।

ख- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य होनी चाहिये-
- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन अनुबन्ध की तिथि से पॉच वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीकृत होना चाहिये, इससे अधिक पुराना न हो।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट होनी चाहिये।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की कॉम्प्रहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

ग- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

घ- वाहन के सचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

ङ- वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाएगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वतीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रू0 1000/ प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2- कार्य के सफल सचालन हेतु वाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नम्बर जिला मुख्यालय एवं सम्बन्धित केन्द्रों के

कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

क्रमशः 2 पर.........................

3-- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी कार्यालय एवं नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जाएगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

4 वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जाएगी एवं वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है, द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधित दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

5- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8.00 बजे केन्द्र पर वाहन उपलब्ध कराने एवं चिकित्सक दल को भ्रमण स्थल तक ले जाने एवं वापस लाना होगा। इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होगी। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉगबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

6- वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

7 - किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

8 विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

9- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

10-अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

11 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकारी होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकारी होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थानः नौएडा, गौतमबुद्धनगर

दिनांकः 01.04.2017

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

गवाहः- 1. Dr. Sunil Dohare (ACMO)

2. Pritam Singh (Clerk)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

मैसर्स, तालान टूर एण्ड ट्रैवल्स,
गॉव नवल गोपालगढ, तहसील- जेवर
गौतमबुद्धनगर

Talan Tour & Travels

Partnership

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष : मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद गौतमबुद्धनगर

द्वितीय पक्ष : मैसर्स कृष्णा टूर एण्ड ट्रैवल्स, गॉव कुलेसरा, तहसील सदर जनपद गौतमबुद्धनगर (सेवा प्रदाता)

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अनुश्रवण व मूल्यांकन कार्य हेतु आज दिनांक 01-05-2017 को जनपद गौतमबुद्धनगर में संपादित किया गया। इस अनुबंध की अवधि दिनांक 01-05-2017 से दिनांक 31.03.2018 तक होगी।

1 द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की ओर से जिला गौतमबुद्धनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसरख एवं दादरी पर कार्य संचालित करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध करायगें।

क- सेवा प्रदाता को प्रथम पक्ष की ओर से संबंधित केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा रूपये 24990=00 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। माह में 25 दिवस (राजकीय अवकाशों को छोडकर) से कम कार्य दिवस होने पर रू0 1000/ प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा।

ख- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य होनी चाहिये-

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन अनुबंध की तिथि से पॉच वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीकृत होना चाहिये, इससे अधिक पुराना न हो।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट होनी चाहिये।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की कॉम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

ग- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

घ- वाहन के संचालन एवं रख--रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

ङ- वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाएगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रू0 1000/ प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2- कार्य के सफल संचालन हेतु वाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नम्बर जिला मुख्यालय एवं सम्बन्धित केन्द्रों के कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

क्रमशः 2 पर..........................

3- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय -समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी कार्यालय एवं नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जाएगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

4 वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जाएगी एवं वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है, द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधित दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

5- एजेंसी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8.00 बजे केन्द्र पर वाहन उपलब्ध कराने एवं चिकित्सक दल को भ्रमण स्थल तक ले जाने एवं वापस लाना होगा। इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होगी। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉगबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

6 - वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

7 किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

8- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

9- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

10 -अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षो को मान्य होगा।

11 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकारी होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकारी होगा। तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान. नोएडा, गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 01.04.2017

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

गवाह:- 1- Dr. Sunil Dohare (ACMO)

2. Roshan Singh (Clerk)

Sanjay Mishra

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

मैसर्स, कृष्णा टूर एण्ड ट्रैवल्स

गॉव कुलेसरा, ग्रेटर नौएडा

गौतमबुद्धनगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष : मुख्य चिकित्सा अधीकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद गौतमबुद्धनगर
द्वितीय पक्ष : मैसर्स, ओम नमः शिवाय टूर एण्ड ट्रैवल्स, गाँव शाहपुर कलाँ, जनपद बुलन्दशहर
(सेवा प्रदाता)

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अनुश्रवण व मूल्यांकन कार्य हेतु आज दिनांक 01.04.2017 को जनपद गौतमबुद्धनगर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक होगी।

1- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की ओर से जिला गौतमबुद्धनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दादरी पर कार्य संचालित करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध करायेंगे।

क- सेवा प्रदाता को प्रथम पक्ष की ओर से संबंधित केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा रूपये 24990=0 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। माह में 25 दिवस (राजकीय अवकाशों को छोडकर) से कम कार्य दिवस होने पर रू0 1000/- प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा।

ख- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य होनी चाहिये--
- वाहन टैक्सी परमिट मे पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन अनुबन्ध की तिथि से पाँच वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीकृत होना चाहिये, इससे अधिक पुराना न हो।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट होनी चाहिये।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की कॉम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

ग- वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

घ- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

ङ- वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाएगा। नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रू0 1000/- प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2- कार्य के सफल संचालन हेतु वाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नम्बर जिला मुख्यालय एवं सम्बन्धित केन्द्रों के कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

क्रमशः 2 पर.....

3- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी कार्यालय एवं नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जाएगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

4- वाहन चालक की व्यवसायी द्वितीय पक्ष द्वारा की जाएगी एवं वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है. द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधित दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

5- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8.00 बजे केन्द्र पर वाहन उपलब्ध कराने एवं चिकित्सक दल को भ्रमण स्थल तक ले जाने एवं वापस लाना होगा। इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होगी। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉगबुक के साथ अगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

6- वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

7- किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

8- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

9- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

10- अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

11- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकारी होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकारी होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान: नोएडा, गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 01.04.2017

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

गवाह:-

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

मैसर्स ओम नमः शिवाय टूर एण्ड ट्रैवल्स,
गाँव शाहपुर कलाँ बुलन्दशहर